पत्रिका

21 तक पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम

फर्जी जीएसटी अधिकारी को कोर्ट में पेश करने के बाद तीसरी बार लिया रिमांड पर

5 लाख की रिश्वतखोरी के प्रकरण की जांच तेज

रायपुर. सीबीआई 5 लाख की रिश्वत लेने वाले फर्जी जीएसटी अधिकारी अनिल गुप्ता से 21 जुलाई तक पूछताछ करेगी। आरोपी को विशेष न्यायालय में गुरुवार को पेश किया गया। सीबीआई ने बताया कि आरोपी के वाइस सैंपल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से रिकवर की गई जानकारियों के संबंध में विस्तृत पूछताछ करने की जरूरत है। साथ ही रिश्वतखोरी के खेल में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका का ब्योरा लेना है। विशेष न्यायाधीश ने सीबीआई के अनुरोध पर आरोपी को 4 दिन की रिमांड पर देने का आदेश दिया। बता दें कि पकड़े जाने के डर से आरोपी अनिल गुप्ता गत 7 जुलाई को कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंचा। इस दौरान सीबीआई ने उसे न्यायाधीश की अनुमति पर गिरफ्तार कर 14 जुलाई तक रिमांड पर लिया। इसकी अवधि समाप्त होने पर 17 और उसके बाद 21 तक रिमांड पर लिया। इस प्रकरण में तेलीबांधा से सेंट्रल जीएसटी के वाहन चालक विनय राय और अधीक्षक भरत सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

यह है मामला

सेंट्रल जीएसटी की टीम ने 28-29 जनवरी 2025 को दुर्ग के स्टेशन रोड स्थित मेसर्स वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी में छापा मारा था। तलाशी में गड़बड़ी पकड़े जाने पर संचालक लालचंद अठवानी से 34 लाख की डिमांड की गई। अनिल गुप्ता ने स्वयं को जीएसटी अधिकारी बताकर कर पूरा मामला 5 लाख में सेट कराने का आश्वासन दिया। इसकी सूचना मिलने पर सीबीआई की टीम ने 31 जनवरी 2025 की शाम वीआईपी रोड स्थित करेंसी टावर के पास 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए कार चालक विनय राय को गिरफ्तार किया। उससे मिली जानकारी के आधार पर सीबीआई की टीम ने सीजीएसटी के दफ्तर में दबिश दी।

18/07/2025 | Raipur City | Page : 4
Source : https://epaper.patrika.com/